न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 170 /2022 तारीख रजू 13. 7. 22

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

स्पेशल आई०डी० नम्बर 2022/ A29

उनवान

रतीराम पुत्र बत्तु जाति माली निवासी जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

सायलान 03

बनाम

न्यायसिंह जोगी पुत्र चौथी जाति जोगी निवासी जाहनाबाद तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

गैरसायलान 05

फर्द अहकाम

दिनांक	
13-7-22	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री सुगर सिंह एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को भूमि का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने, बेदखल नहीं करने, मजाहमत मदाखलत नहीं करने, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करने, रहनव्यय नहीं करने हेतु गैरसयाल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 305, 306, 308/2, 353, 354, 150, 69, 70, 71, 310/2, 343, 351/2, 358, 1073/455, 314, 333, 497 में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 16.08.2022 को पेश हों। (अनुष सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
20-7-22	पत्रावली आज मिसल तलबी के प्रा० पत्र पर पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित। सायल व सायल वकील ने अवगत कराया कि मामला आपस में [illegible] चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण रीडिंग में खारिज कराना चाहते हैं। अतः मु० नं० 170/22 [illegible] रतीराम पुत्र [illegible] रीडिंग में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर की जावे। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)